झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08/ज०सं०(नि०) देव० – 05–04/2019 ..../ राँची, दिनांक ....

आदेश

दिनांक– 20.07.2019 से बिना सूचना के स्वेच्छापूर्वक मुख्यालय से अनुपस्थित रहने के आरोप के लिए श्री संजय कुमार (ID - JC 0086) कनीय अभियंता, सिंचाई अवर प्रमण्डल सं०–03, नाला को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2016 के नियम– 9(1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलम्बन अवधि के लिए श्री कुमार को मुख्य अभियंता कार्यालय, लघु सिंचाई, राँची में संलग्न करते हुए इस कार्यालय को इनका मुख्यालय निर्धारित किया जाता है।

3. निलम्बन अवधि के लिए श्री संजय कुमार, कनीय अभियंता को सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली– 2016 के नियम– 10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4. इनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित करने की कार्रवाई अलग से की जायेगी।

5. उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

6. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह०/–
(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख–I

ज्ञापांक : ..../राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :– जिला कोषागार पदाधिकारी, देवघर/राँची/श्री संजय कुमार, कनीय अभियंता, सिंचाई अवर प्रमण्डल सं०–03, नाला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख–I

ज्ञापांक : 4102 /राँची, दिनांक 26/7/19

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल नाला/अवर सचिव, प्रशाखा–03, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर एवं कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल नाला को आदेश दिया जाता है कि श्री संजय कुमार, कनीय अभियंता के विरूद्ध आरोप प्रपत्र–'क' गठित कर अविलम्ब विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

26/7/19

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख–I

D:\MINZ\Letter\Order\08_J.S(N)_Dev_05_04_2019.docx 1